



2026:AHC:60955

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11676/2026

सैयद अनवर कमाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: अरविन्द प्रबोध दुबे, गुफरान खान, रवि सिंह

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान धारा 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन समन आदेश दिनांक 20.02.2025 के साथ-साथ परिवाद वाद संख्या 52980 वर्ष 2024 (अनिल कुमार तिवारी बनाम सैयद अनवर कमाल), धारा 138 एन.आई. एक्ट, थाना कैंट, जिला गोरखपुर की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो वर्तमान में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 1, गोरखपुर की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षकारों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि धन के भुगतान के संबंध में कुछ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) SCC 663 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा जताया है। संबंधित पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट-टैकलिंग एन एवेलॉच ऑफ केसेस' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पेज 5 पर]:

'...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) सजा प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन अधिक है। शिकायतकर्ता की रुचि मुख्य रूप से चेक जारी करने वाले को जेल में देखने के बजाय पैसा वसूलने में होती है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की अवधि काटने को तैयार है, चेक धारक के लिए उपचार के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

यदि हम दायर की गई उन शिकायतों की संख्या की जांच करें जो एक तरफ अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निपटारा' गई थीं, और दूसरी तरफ वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि तक बढ़े, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया था और केवल बहुत कम संख्या में मामले ही जारी रहे।'

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटार्नी जनरल द्वारा जताई गई आशंकाओं को भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव



में शमन के माध्यम से समझौता या निपटारा किया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी हो रही है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जो अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में देर से शमन को चुनते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटार्नी जनरल का तर्क है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेने के तुरंत बाद विकल्प चुनने के बजाय अंतिम विकल्प के रूप में शमन को चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कड़वा सच यह है कि शमन चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित बकाया मामलों में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निपटान या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का विकल्प चुनें। यदि हालांकि, अभियुक्त के पास अन्य आधारों के साथ-साथ गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसा कोई वैध बचाव है, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए आवेदन दे सकता है तथा चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को आगे अवसर प्रदान करेगा जो इस दिशा में



प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय विशेष रूप से दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आज से पांच महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय (trial court) के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने की आवश्यकता है और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।¹⁰

8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में यह आवेदन दिया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026